रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 301] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1998/वैशाख 24, 1920
No. 301] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1998/VAISAKHA 24, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1998

का. आ. 399 (अ).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

मेती उग्रवादी संगठन -

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के मामले में

माननीय न्यायाधीश श्री के॰ राममूर्ति

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष

भारत सरकार ने 13 नवम्बर, 1997 को एक अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 780(अ) जारी की है जो निम्नलिखित है:—

''साधारणतया पी॰एल॰ए॰ के रूप में ज्ञात पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी और उसके राजनीतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर॰पी॰एफ॰), दी यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (यू॰एन॰एल॰एफ॰), दी पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी॰आर॰ई॰पी॰ए॰के॰) और उसके सशस्त्र खण्ड ''रेड आर्मी'' कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के॰सी॰पी॰) और इसके सशस्त्र विंग जिसको भी ''रेड आर्मी'' कहा जाता है, तथा कांगली या ओल कानबा लुप (के॰वाई॰के॰एल॰) (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से मैती उग्रवादी संगठन कहा गया है) ने:—

(i) मणिपुर राज्य को भारत संघ से अलग कर स्वतंत्र मणिपुर के गठन का अपना उद्देश्य खुले तौर पर घोषित कर दिया है,

(ii) अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधन रखे हैं और उनका उपयोग करता है,

(iii) मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर आक्रमण करते रहे हैं,

(iv) अपने संगठन के लिए धन संग्रहण हेतु असैनिक आबादी को अभित्रास, उद्यापन और लूटने की गतिविधियों में लिप्त हैं, और

(iv) लोकमत को प्रभावित करने और अपने अलगाववादी उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ शस्त्र और प्रशिक्षण की सहायता प्राप्त करने हेतु विदेशी स्त्रोतों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं ।

2. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से मैती उग्रवादी संगठन और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकाय जिनमें ऊपर नामित सशस्त्र समूह भी है, विधि विरुद्ध संगम हैं ।

3. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैती उग्रवादी संगठनों अर्थात् दी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0) और उसके राजनीतिक विंग दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर0पी0एफ0), दी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू0एन0एल0एफ0), पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और उसकी रेड आर्मी कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और उसके सशस्त्र विंग जिसको भी रेड आर्मी कहा जाता है तथा कांगलीयाओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) को गैर कानूनी संगम घोषित करती है ।

4. और:-

(i) सुरक्षा बलों और असैनिक आबादी पर (सशस्त्र समूहों और मैती उग्रवादी संगठनों के सदस्यों) द्वारा आक्रमण और हिंसा के मामले बार-बार हुए हैं तथा हो रहे हैं,

(ii) मैती उग्रवादी संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है,

(iii) निरन्तर धन संग्रहण, उद्यापन और परिष्कृत हथियार अर्जित किए जा रहे हैं,

(iv) शरण लेने, प्रशिक्षण लेने तथा हथियार और गोलाबारूद छिपाकर प्राप्त करने के लिए कुछ पड़ौसी देशों में कैम्प बनाए हुए हैं ।

5. केन्द्रीय सरकार की राय है कि मैती उग्रवादी संगठन के पूर्वोक्त क्रियाकलाप, भारत की प्रभुता एवं अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यदि उन पर तुरन्त रोक न लगाई जाए और उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो उक्त मैती उग्रवादी संगठन पुनः समूहबद्ध होंगे, अपने को हथियारों से

सुसज्जित करेंगे, अपने काडरों का विस्तार करेंगे, परिष्कृत हथियार प्राप्त करेंगे, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों एवं सिविलियनों की हत्या करेंगे और भारत संघ से मणिपुर को अलग करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने क्रियाकलाप की गति तीव्र करेंगे ।

6. उपर्युक्त पैरा 4 और पैरा 5 में निर्दिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह राय है कि यह आवश्यक है कि मैती उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी0पल0ए0) और इसके राजनैतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट (आर0पी0पफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू0पन0पल0पफ0), पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (प्रीपाक), कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और उनके सशस्त्र खण्ड जिसे "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगली याओल कानबा लुप (के0वाई0के0पल0) को तत्कालिक प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाए और तदनुसार उक्त धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. अधिकरण ने प्रभार संभालने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए और जब पक्षों को नोटिसें तामील कर दी गई तो भारत ने कानून की अपेक्षा के अनुसार शपथ-पत्र और दस्तावेज जमा किए । मैती नामक आतिवादी संगठनों को प्रकाशन भी उपलब्ध कराए गए थे । उन्होंने उपस्थित होकर प्रतिवाद न करने का रास्ता चुना है । भारत सरकार की ओर से श्री राम फल, डेस्क अधिकारी ने शपथ-पत्र दाखिल किया जिसमें उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया था जिनके तहत अधिसूचना जारी की गई । मणिपुर और असम राज्य की ओर से गवाहों से जिरह की गई और दस्तावेज रेखांकित किए गए ।

3. गवाहों और दस्तावेजों से संबंधित ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

पी0डब्ल्यू0 1 इंस्पेक्टर लैसराम बीराभू सिंह

पी0डब्ल्यू0 2 सब इंस्पेक्टर लेच्छोमबाम बसंत सिंह

पी0डब्ल्यू0 3 सब इंस्पेक्टर गैथोइलंग लौंगमेई

पी0डब्ल्यू0 4 सब इंस्पेक्टर पेंगकोकपाम चंद्रमणि सिंह

पी0डब्ल्यू0 5 सब इंस्पेक्टर हिंदगमायूं रामेश्वर शर्मा

पी0डब्ल्यू0 6 श्री हौपेसन चिफांग

पी0डब्ल्यू0 7 श्री येलम भीष्म सिंह

पी0डब्ल्यू0 8 श्री छकछुआग लैरोपुअैया

पी0डब्ल्यू0 9 श्री सिमाजंग खंसन

पी0डब्ल्यू0 10 श्री पस0 दिनेशकुमार सिंह, अपर सचिव (गृह) मणिपुर सरकार, इम्फाल

पी0डब्ल्यू0 11 श्री रामफल, डेस्क अधिकारी, भारत सरकार, गृह मंत्रालय

एक्स0पी0 _ प्रथम सूचना रिपोर्ट 1966 का 21(4) थाना मोरेंग

एक्स0पी0 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 1996 का 55(8) थाना विष्णुपुर

एक्स0पी0 3 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 1997 का 37(8) थाना लैमसांग

एक्स0पी0 4 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 1997 का 119(6) थाना लाम्फेल

एक्स0पी0 5 से पी0 10 तक दस्तावेजों की प्रतियां बरामद कर अभिग्रहित कर ली गई हैं

एक्स0पी0 11 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 815(11)/95

एक्स0पी0 12 रशीद सं0 201, पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक के पत्र शीर्ष पर जारी

एक्स0पी0 13 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 243(11)95 थाना सिंगजमेइ

एक्स0पी0 14 और पी0 15 दस्तावेजों की प्रतियां बरामद कर अभिग्रहित की गई

एक्स0पी0 16 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 1997 का 83(7) थाना थौबल

एक्स0पी0 17 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 1997 का 78(4) थाना चूड़ाचंदपुर

एक्स0पी0 18 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 1996 का 12(1) थाना लामलाइ

एक्स0पी0 19 रशीद सं0 101, कांगलेइ यावोल कन्ना लूप के पत्र शीर्ष पर

एक्स0पी0 20 श्री पस0 दिनेश कुमार सिंह, अपर सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, इम्फाल

एक्स0पी0 21 श्री रामफल, डेस्क अधिकारी, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा 13·2·98 को वायर शपथ-पत्र

एक्स0पी0 22 13·11·1997 की अधिसूचना

3· सरकार की ओर से जारी किए गए साक्ष्यों से स्पष्ट होगा कि न केवल संबंधित क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिसूचना जारी करना पूर्ण औचित्यपूर्ण था । हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए यदि देश का कोई भाग रोगग्रस्त

हो जाता है, जैसा कि हो गया था, तो इससे देश के अन्य भाग भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित होने स्वाभाविक है । इस देश का प्रत्येक नागरिक जो संपूर्ण राष्ट्र की भलाई के संबंध में सोचता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सांप्रदायिक दृष्टिकोणों से न केवल भौतिक दृष्टि से देश की प्रगति में बाधा होगी बल्कि इससे हम गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे जबकि विश्व के अन्य भागों के लोग शांति और सद्भाव के कठिन प्रयास कर रहे हैं । हम आशा और प्रसन्नता से भरी सहस्त्राब्दि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस समय यदि सभी भारतीय गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए संयुक्त रूप से प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा देश निर्धनता का उन्मूलन नहीं कर सकेगा और हम पिछड़ जाएंगे जबकि अन्य देश अच्छे जीवन के लिए अपेक्षित प्राप्त करने में सक्षम हैं ।

4. अधिसूचना के प्रथम पैराग्राफ में सभी संगठनों को सामूहिक रूप से मैती आतंकवादी संगठन कहा गया है । मैती नामक यह शब्द पूर्वी भारत के मूल निवासियों के वंशजों का प्रतिनिधित्व करता है और इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट होगा कि ये लोग उच्च स्तर की शिक्षा संस्कृति का जीवन व्यतीत कर रहे थे और इन्हें मैती कहा जाता था । इन लोगों के गुणों का वर्णन करते हुए श्री सत्य साई बाबा ने कहा थाः-

> "वेदों के अनुसार वास्तविक शांति का मूलाधार मैती का गुण है जिससे तात्पर्य मैत्रीभाव, दोस्ती, करुणा और दया से है । इससे तात्पर्य "माई थी" अर्थात मेरा विश्व, कार्य और विचार से है । इसे अन्य शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है हम लोग प्रेम और सौहार्द के वातावरण में किसी तनाव और वैमनस्य के बिना सामूहिक रूप से संभाषण, चिंतन और कार्य करेंगे । आज के युग में यही अपेक्षित है ।"

5. वास्तव में यह खेदजनक है कि उन पुरुषों और महिलाओं के उत्तराधिकारियों ने स्थापित सरकारों के विरुद्ध हथियार उठाया है । लोग राष्ट्रपिता और अन्य महान नेताओं द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों और सिद्धान्तों को भूल गए हैं । हिंसा का सहारा लेकर लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता राष्ट्रपिता ने यह सिद्ध कर दिया था कि प्रेम और स्नेह से तथा अहिंसक तरीकों से लोग महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं । मैं स्थिति का पंडिताऊ विश्लेषण नहीं करना चाहता और न ही मेरा इरादा गुरु बनने का है । जब ऐसा अवसर आया है कि मैं पूर्वी भारत में रहने वाले अपने भाइयों और

बहनों को यह बता सकूं कि हिंसा का रास्ता अपनाना उपयोगी नहीं होगा और इससे केवल प्रान्त के लोग ही प्रभावित होंगे और शायद हमें चीजों को सही रास्ते पर लाने में सालियां लग जाएं । लोगों को श्री सत्य साई बाबा द्वारा दिए गए निम्नलिखित दस सिद्धान्त अपनाने होंगे और यदि वे सचमुच प्रान्त के लोगों के हित में कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल होना होगा और देश के अन्य भागों में रह रहे लोग हमेशा उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे और उन्हें सारी अपेक्षित सहायता देंगे:-

"मातृभूमि से प्रेम करो और उसकी सेवा करो, दूसरों को मातृभूमि से नफरत मत करो और ठेस मत पहुंचाओ ।

प्रत्येक धर्म का सम्मान करो, प्रत्येक धर्म एक ही ईश्वर तक जाने का मार्ग है ।

सभी इंसानों को बिना किसी भेदभाव के प्रेम करो, इस बात को जानो कि मानवजाति एक अकेला संप्रदाय है ।

अपना घर और इसका वातावरण स्वच्छ रखो, इससे आपका तथा समाज का स्वास्थ्य और प्रसन्नता सुनिश्चित होगी ।

जब भिखारी भिक्षा के लिए हाथ पसारें तो सिक्के मत फेंकिए, उन्हें स्वावलंबी बनने में सहायता करें । भोजन और आश्रय प्रदान करें । बीमार और वृद्धों को प्रेम करें और उनकी देखभाल करें ।

दूसरों को रिश्वत का लालच न दें अथवा रिश्वत लेकर स्वयं को नीचा न करें ।

किसी भी मुद्दे पर ईर्ष्या, नफरत अथवा जलन न पनपने दें ।

अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें दूसरों की सेवा करने से पहले स्वयं के सेवक बनिये ।

राज्य के नियमों का पालन करें और एक आदर्श नागरिक बनिये ।

ईश्वर पर श्रद्धा रखें, पाप से घृणा करें ।

6. मैं सोचता हूं कि यह प्रारंभिक अवलोकन संबंधित लोगों को संदेश भेजने में सहायता करेगा और मैंने इन तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना उचित समझा क्योंकि सरकार मानव समस्याओं को देख रही है ।

7. मैं अब सरकार के सामने रखे गए साक्ष्यों का ध्यान से विश्लेषण करता हूं । पी0डब्ल्यू0 1 निरीक्षक लेशराम बीरजू सिंह करेंगे:-

"मैं मोरंग पुलिस स्टेशन पर 22.12.96 से इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूं । 9.4.1996 को लगभग शाम 6.45बजे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक टी0के0 राव अपने मार्गरक्षी दल सहित गुरुचंद्रपुर की ओर जा रहे थे और रास्ते में जेलनेाल गांव के पास संगाइलू पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक और मार्गरक्षी दल को कुछ गुंडों/आतंकवादियों ने जो शायद घाटी के आतंकवादी थे ने अचानक आक्रमण किया । उस आक्रमण में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तथा 8 अन्य पुलिस कार्मिक और दो औरतों सहित 3 नागरिक मारे गए । इन लोगों को मारने के बाद ये बदमाश भाग गए और अपने साथ चार ए0के0 47 राइफलें और कुछ गोला-बारूद, तीन स्टेन कारबाइन तथा एक रिवाल्वर, एक मोबाइल वायरलैस सेट तथा पांच बुलेटप्रूफ वेस्ट ले गए । इसके बाद तत्कालीन प्रभारी अधिकारी पी0एस0 मोयरंग द्वारा भारतीय दंड संहिता के खण्ड 121/121क/307/302/395/397 के तहत 25(1-ख)(क) शस्त्र अधिनियम दिनांक 9.4.96 के 13 यू0ए0पी0 अधिनियम के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया जिसका एफ0आई0आर0 नं0 1996 का 21(4) था । मैं मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने साथ लाया हूं (मूल प्रस्तुत कर दी गई और अवलोकन किया गया) प्रतिलिपि एक्स0पी0-1 मार्क की गई । मैंने अभी तक अदालत में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया है । जांच के दौरान पाया गया कि यद्यपि पहले यह विश्वास किया जा रहा था कि यह कार्य घाटी के संदिग्ध बदमाशों का है किन्तु बाद में दो दोषी लोगों को पकड़ने के बाद यह पता चला कि यह कार्य पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सशस्त्र

बदमाशों का है और यह सुनिश्चित किया गया और इसकी पुष्टि की गई । थोकोम बिजोय भूपेन्द्रो टिकेन सुपुत्र श्री इबोहल सिंह, निवासी थिनून्गी अवांग लीकई से की गई पूछताछ के दौरान यह भेद खुला कि उनके द्वारा अपनाया गया तरीका यह था कि पहले गांव के क्षेत्र विशेष को आग लगा दी जाए और कुछ घरों के ढहने के फलस्वरूप किसी ने पुलिस स्टेशन मोयरंग को सूचना दी । पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी ने अग्निशमन कार्मिकों से संपर्क किया और उसी दौरान जिला बिष्णुपुर के पुलिस अधीक्षक जो चूड़ाचंदपुर की ओर जा रहे थे, पर रास्ते में आक्रमण किया गया । यह अभियुक्त विशेष जिसकी मेरे द्वारा पूछताछ की गई आक्रमण में सीधी तरह शामिल नहीं था बल्कि घरों को ढहाने के लिए पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी की ओर से था । इस संगठन की एक और शाखा है जिसका नाम आर0पी0एफ0 है अर्थात रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट । पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी और आर0पी0एफ0 के उद्देश्य और लक्ष्य है । मणिपुर को भारत संघ से अलग करना §2§ मणिपुर को प्रभुत्व राज्य बनाना, §3§ मणिपुर के कथित खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना §4§ दक्षिण-पूर्व मध्य एशिया के भौगोलिक क्षेत्रों में मंगोलियाई मूल के लोगों को संगठित करना । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये लोग सुरक्षा कार्मिकों पर आक्रमण कर रहे हैं ताकि उनसे शस्त्र और गोलाबारूद ले सकें और मणिपुर की विधिपूर्वक स्थापित सरकार और भारत सरकार के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर सकें । इस समय मणिपुर मुख्यतः घाटी क्षेत्र में मूलरूप से रह रही जाति का नाम मैती जाति है ।

8· इससे यह पता चलता है कि कुछ लोगों ने जो यह मानते हैं कि वे क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तरीके अपनाए हैं जो न केवल मानव मर्यादा के विरुद्ध है बल्कि देश के नैतिक ताने-बाने को भी पूर्णतया नष्ट करने वाले हैं । पी0डब्ल्यू0-1 द्वारा बताई गई घटनाएँ निःसंदेह सच्ची है ।

9· पी0डब्ल्यू0 2 में सब इंस्पेक्टर लेचोमबम बसन्त सिंह ने अपने साक्ष्य में उन्हें ज्ञात घटनाओं का वर्णन किया तथा उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य निम्न प्रकार हैः-

"मुझे 10·4·1994 से बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात किया गया है । मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 121/122/302/34, 25§1-बी§ शस्त्र अधिनियम तथा 13 यू0ए0पी0 अधिनियम के अंतर्गत थाना बिष्णुपुर की 1996 की मूल

एफ0आई0आर0 सं0 55§8§ लाया था । यह उग्रवादियों से संबंधित है जो उग्रवादी संगठनों जैसे पी0एल0ए0/आर0पी0एफ0 के प्रति अपनी निष्ठा बनाए हुए है । मैंने इस मामले की जांच करवाई है । दिनांक 31·7·1996 को सांय लगभग 9·00बजे निगथौखोंग नदी के समीप तीन गैर मणिपुरी मारे गए थे । तीन गैर-मणिपुरियों को टैक्स अदा न करने के कारण मारा गया था जो पी0एल0ए0/आर0पी0एफ0 नामक उग्रवादी संगठनों से संबद्ध उग्रवादियों द्वारा उन पर लगाया गया था । चूंकि मृतक व्यक्तियों ने टैक्स देने से इन्कार किया था, अतः अन्यों के समक्ष उनका उदाहरण पेश करने के उद्देश्य से उन्हें मार डाला गया था । इस मामले की छानबीन के दौरान कुम्बी के एम0 गोपेन्द्र उर्फ टॉनी नामक एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । सतत् छानबीन के दौरान एम0 गोपेन्द्र उर्फ टॉनी नामक इस अभियुक्त ने यह बात उजागर की कि उसने अपने दो सहयोगियों के साथ स्टेनगन से दो गैर-मणिपुरी व्यक्तियों की हत्या की थी । एम0 गोपेन्द्र उर्फ टॉनी ने यह बताया कि वह पी0एल0ए0 संगठन से संबद्ध है । मैं मूल एफ0आई0आर0 लाया हूं §मूल प्रस्तुत और अनुशीलन किए गए§ उसकी एक प्रतिलिपि पृष्ठ 2 पर है । पी0एल0ए0 का अर्थ है - पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी । इसका उद्देश्य और ध्येय है - मणिपुर को भारत से अलग करना §2§ मणिपुर को प्रभुसत्ता संपन्न-राज्य बनाना §3§ मणिपुर की खोई हुई सीमाओं को पुनः प्राप्त करना §4§ दक्षिण-पूर्व मध्य एशिया के भौगोलिक रूप से निकटस्थ क्षेत्रों में मंगोलियन मूल के लोगों को विधिवत स्थापित प्राधिकरणों के खिलाफ अनाधिकृत हथियारों का प्रयोग करके और उन्हें धारण करके भारत सरकार के खिलाफ भारत सरकार और मणिपुर राज्य के रक्षा बल भी है, लड़ाई लड़कर एक राष्ट्र में एकीकृत करना ।

10· पी0डब्ल्यू0 2 के साक्ष्य से राज्य के हालातों का पता भी चलेगा । वे व्यक्ति जिन्हें कानून और व्यवस्था के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, की नृशंस हत्या कर दी जाती है और कोई भी सरकार केवलमात्र मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहती । यह सरकार का सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन की रक्षा के लिए एक शांतिपूर्वक और अनुकूल वातावरण बनाए क्योंकि हमारे देश के इतिहास में समय-समय पर अनेक उतार-चढ़ाव आए हैं ।

11. पी०डब्ल्यू० 3 में सब-इंस्पेक्टर गैथोईलंग लॉगमेई, जो कि लायशांग पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी है, ने अपने साक्ष्य में बताया है कि:-

"फिलहाल मैं लामशांग पुलिस स्टेशन में 1.3.1996 से सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूं । मैं 1997 की मूल एफ०आई०आर० सं० 37(8) लाया हूं और इसके साथ उग्रवादी संगठनों से संबद्ध मामला है और इस उग्रवादी संगठन का नाम यू०एन०एल०एफ० नामक यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट है । 6.8.1997 को सेना के एक दल ने थैथेलोन ग्राम के समीप यू०एन०एल०एफ० कैम्प के बेस पर छापा मारा । पहाड़ी का नाम पंडोनगबा पहाड़ी है । यू०एन०एल०एफ० के बेस कैम्प पर पहुंचने पर सेना के दल को एक सेंट्रल चौकी मिली और उन्हें वहां तैनात संतरियों को काबू करना पड़ा । इसके फलस्वरूप, अंदर के उग्रवादियों ने बदले में हमला किया । जिससे मुठभेड़ हो गई । मुठभेड़ होने के 30 मिनट के बाद यू०एन०एल०एफ० के उग्रवादी अपने बेस कैम्प अर्थात मुठभेड़ के स्थान को छोड़कर भाग गए । तब सेना के कार्मिक बेस कैम्प के भीतर घुसे और दो लाशें बरामद कीं । उन्हें बड़ी मात्रा में शस्त्र एवं गोलाबारूद मिले, जो कि अत्याधुनिक स्वरूप के थे और जिन्हें उग्रवादियों ने भागते समय वहीं कैम्प में छोड़ दिया था । मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121ए/307, 25(1-बी) शस्त्र अधिनियम, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 13 यू०ए०पी० अधिनियम के अंतर्गत लामशांग थाने की 1997 की एफ०आई०आर०सं० 37(8) लाया हूं । (मूल प्रस्तुत और देख लिए गए) उसकी एक प्रतिलिपि पृष्ठ 3 पर है । मेरी छानबीन के अनुसार, थैथेलोन गांव में बेस कैंप स्थापित किए जाने का उद्देश्य डकैती, लूटपाट, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर तैनात सुरक्षा बलों से शस्त्र व गोला-बारूद छीनना था । मैंने दो अभियुक्तों अर्थात सरायसाम रणजीत सिंह और निगमबम नानाओ सिंह को गिरफ्तार किया है । इन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने यू०एन०एल०एफ० उग्रवादी संगठन से संबंध होने की बात स्वीकार की है और यह स्वीकार किया है कि उन्होंने म्यामार और सुमनु प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया था । उन्होंने शस्त्र एवं गोला-बारूद का इस्तेमाल करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करने हेतु मिलिट्री ट्रेनिंग ली है और उन्होंने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता के संबंध में इन-डोर क्लास में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया ताकि मौजूदा भारत संघ से मणिपुर की प्रभुसत्ता हासिल की जा सके । यू०एन०एल०एफ० का उद्देश्य भारत संघ के कथित प्रभुत्व से मौजूदा

मणिपुर राज्य को आजादी दिलाना है । दूसरा, मणिपुर की खोई हुई राजनीतिक प्रभुसत्ता को बहाल/प्राप्त करना है ताकि मणिपुर और उसके पड़ौसी राज्यों का प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य स्थापित किया जा सके और मणिपुर की खोई हुई सीमाओं को पुनः प्राप्त किया जा सके तथा दक्षिण पूर्व मध्य एशिया के भौगोलिक रूप से निकटस्थ क्षेत्रों में मंगोलियन मूल के लोगों को एक राष्ट्र में एकीकृत किया जा सके ।"

यहां तक कि इस गवाही का प्रमाण एक बहुत गंभीर स्थिति को उभारेगा और जिसे सहन नहीं किया जा सकता ।

12. पी0डब्ल्यू0 4 सब-इंस्पेक्टर यंगकोकपम चन्द्र मानी सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है :-

"मैं दिनांक 17.4.1997 से लम्फेल पुलिस स्टेशन पर तैनात हूं । मेरे पास ऐसा मामला आया जो आतंकवादी संगठन यू0पल0एफ0 से संबंधित है और जिसकी मेरे द्वारा जांच की जा रही है । मैं मूल मामला और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121/121 - क और 10/13 यू0ए0पी0 अधिनियम के तहत लामफेल पुलिस स्टेशन की एफ.आई.आर. पत्र सं0119(6)/97 लाया हूं । इसकी एक प्रतिलिपि प्रदर्श के पृष्ठ-4 पर है । दिनांक 27.6.1997 को 24 असम राइफल्स के एक दल ने यह सूचना प्राप्त की कि यू.एन.एल.एफ. के कुछ शीर्ष नेता ली इंगखोल में आश्रय ले रहे थे । तदनुसार, 24 असम राइफल्स ने उस क्षेत्र में घेरा डाला और छानबीन की कार्यवाही की और एक इबोमचा उर्फ एच. मनगांग की गिरफ्तारी की जो यू.एन.एल.एफ. होम का सदस्य प्रभारी था । उसकी गिरफ्तारी पर पाया गया कि उसके पास यू.एल.एल.एफ. से संबंधित छः दस्तावेज थे और वही उसके पास से बरामद किए गए । 24 असम राइफल्स कमांडेंट द्वारा यह पकड़ा हुआ इबोमचा उर्फ एच. मनगांग पुलिस स्टेशन लम्फेल के प्रभारी अधिकारी को शिकायत एवं बरामद और जब्त किए दस्तावेजों सहित सौंपा गया । प्रदर्श के पृष्ठ 5 से पृष्ठ 10 बरामद और जब्त किए दस्तावेजों की फोटो प्रतियां हैं । (मूल प्रस्तुत किए और देखे गए) इस मामले में जांच चल रही है । गिरफ्तार किए गए आभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में दुबारा ले लिया गया । यू.एन.एल.एफ. का सशस्त्र स्कंध मणिपुर लोक सेना है । दस्तावेजों से पता चला है कि आतंकवादी एक समानांतर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं । यू.एन.एल.एफ. का लक्ष्य और

उद्देश्य है कि स्थापित प्राधिकरणों जिनमें भारत सरकार और मणिपुर राज्य के सुरक्षा बल शामिल हैं, के विरुद्ध अप्राधिकृत शस्त्र धारण करके और उनका प्रयोग करते हुए भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करके मणिपुर को भारत से अलग करना, (2) मणिपुर स्वतंत्र राज्य की रचना, (3) मणिपुर के खोए हुए क्षेत्र लौटाना (4) दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया के भौगोलिक समीपवर्ती क्षेत्रों के मंगोलियन मूल के लोगों को एक राष्ट्र में इकट्ठा करना ।"

13• यह कार्रवाई देश के प्रति कर्त्तव्य की किसी भी भावना के बगैर कानून तोड़ने का स्पष्ट उदाहरण है ।

14• पी•डब्ल्यू• 5 एस•आई• शिवनगमायूम रमेश्वर शर्मा ने कहा है :-

" मैं 21•11•1992 से इम्फाल पुलिस स्टेशन में सब-इन्सपेक्टरके रूप में तैनात हूँ । मैं एक मामला एफ•आई•आर• सं• 815(11)/95 की जांच कर रहा हूँ और यह पाक हितैषी संगठन की गतिविधियों से संबंधित है । दिनांक 20•11•1995 को लगभग सुबह 9•45 बजे, मामले का शिकायतकर्ता द्रुतगामी बल , जिला इम्फाल के ए•एस•आई•एम• राजन सिंह अपने दल सहित कंगाबम लेकाई, इम्फाल पुलिस स्टेशन पर गश्त ... ड्यूटी पर थे । अपनी गश्त ड्यूटी के दौरान उन्हें एस• टेबो सिंह उर्फ लोयमबा नाम का एक युवक मिला । शिकायतकर्ता ने टेबो सिंह पर काबू पा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया । उसके पास से एक •38 रिवाल्वर जिसमें 6 जीवन्त कारतूस थे बरामद की गई। एफ•आई•आर• की प्रति प्रदर्श के पृष्ठ 11 पर है और कांगलेपाक की पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी के लेटरपैड पर जारी की गई रसीद पुस्तिका की एक फोटो प्रति जिसका रसीद नं0 201 है रिकार्ड में प्रदर्श के पृष्ठ 12 के रूप में रख ली गई है (मूल प्राप्त की गई और देख ली गई) मैं संख्या आठ की सभी बरामद की गई रसीद पुस्तिकाएं लाया हूँ । उक्त गिरफ्तार किया गया व्यक्ति एस• टेबो• सिंह पाक हितैषी पश्चिमी (1) का स्वयंभू कमांडर है । पाक हितैषी संगठन से संबंधित आतंकवादी ऐसी रसीदें जारी कर रहे थे और लोगों से पैसा झपट रहे थे ताकि वह भारत संघ से वर्तमान मणिपुर राज्य को अलग करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ा सकें । यह छीना हुआ धन पाक हितैषी आतंकवादियों द्वारा शस्त्र और बारूद प्राप्त करने और भारत सरकार के स्थापित प्राधिकरणों और इसके सुरक्षा बलों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार का गुरिल्ला युद्ध करने के उद्देश्य से प्रयोग किया जा रहा था और किया जा रहा है ।

15. उसके द्वारा उल्लेखित घटनाओं से हमें देश के लोगों पर क्या बीत रही है, की तस्वीर भी पता चलेगी ।

16. पी0डब्ल्यू0 6 एस0आई0, होपसन चिपछांग ने कहा :-

"मैं दिनांक 27.10.1995 से सिंगजमई पुलिस स्टेशन पर तैनात हूँ । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121/121-क 13 यू.ए.पी. अधिनियम और 25(1-ख) शस्त्र अधिनियम और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एक एफ.आई.आर. पत्र सं0 243(11) 95 पुलिस स्टेशन सिंगजमई की मेरे द्वारा जांच की जा रही है । एफ.आई.आर. की फोटो प्रति प्रदर्श के पृष्ठ 13 के रूप में अंकित की गई है । मैं मूल लाया हूँ । (मूल देखी और वापिस की गई)

दिनांक 17.11.1995 को, द्रुतगामी बल, जिला इम्फाल का एक दल बशीकोंग लैमलोंग मरी फन्गबी रोड पर तलाशी ड्यूटी पर था । उनकी तलाशी के दौरान स्काई-ब्लू रंग के एक रजिस्ट्रेशन सं0 एम.पन.बी. 8986 के वोपीहिया स्कूटर पर दो युवक आए । ये युवक संदिग्ध लगे और फलस्वरूप इन पर नजर रखी गई और इनकी तलाशी ली गई। पहले युवक की तलाशी पर 23 वर्षीय निन्गोथम प्रेम कुमार उर्फ प्रेम पुत्र बेशीकोंग मामंग लेकई के श्री पन0 अनुमा सिंह, के पास से आठ जीवन्त कारतूस लोड हुई .38 बोर की रिवाल्वर बरामद हुई । इसके अलावा उसके पास से एक वाकी-टाकी भी बरामद और जब्त किया गया, उसके पास से पाक हितैषी संगठन से संबंधित कुछ अभियोग लगाने वाले दस्तावेज भी बरामद और जब्त किए गए । दूसरा कियामगी मनीग लेकाई के स्व0 श्री अमूरई सिंह का 23 वर्षीय पुत्र लाइशराम इंगोचा सिंह उर्फ रमेश उर्फ इबोमचा था । उसके शरीर की तलाशी लेने पर 6 जीवन्त कारतूस लोड की हुई एक .38 बोर की रिवाल्वर बरामद और जब्त की गई । इसके अलावा एक वाकी टाकी और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद और जब्त किया गया । यह पकड़े गए व्यक्ति सिंगनमई पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिए गए और न्यायिक न्यायालय से पांच दिन के लिए पुलिस हवालात में रखने की आज्ञा ले ली गई । जांच के दौरान उन्होंने मान लिया कि वह पाक हितैषी संगठन के खतरनाक आतंकवादी/कार्यकर्त्ता हैं । उक्त जब्त किए गए शस्त्र और बारूद एफ.एस.एल. को भेज दिए गए और अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं मिली । यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति सलाखों के पीछे हैं और आरोप पत्र एफ.एस.एल. की रिपोर्ट

प्राप्त होने पर वायर किया जायगा । मैंने न्यायालय से हैंड ग्रेनेड को नष्ट करने के विध्वंस आदेश प्राप्त कर लिए हैं । उपर्युक्त हथियार और गोली-बारूद के अतिरिक्त इन दुर्दांत पाक समर्थित उग्रवादियों से अन्य दस्तावेज पकड़े और जब्त किए गए । इन दस्तावेजों को प्रदर्श के पृष्ठ 14 और 15 पर रिकार्ड के रूप में इसके विशुद्ध अंग्रेजी अनुवाद के रूप में रखा गया है (मूल प्रति को देखा गया और लौटा दिया) ।

पाक समर्थित उग्रवादियों का लक्ष्य और उद्देश्य भारत संघ से मणिपुर को पृथक करना (2) मणिपुर को पृथक और प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बनाना (3) मणिपुर राज्य द्वारा तथाकथित गंवाया गया क्षेत्र पुनः प्राप्त करना (4) अपना स्वतंत्र पंचायत तंत्र शुरू करना और (5) अपनी सरकार बनाना और उसमें अपना मंत्रिमंडल का गठन करना (6) रोजगारोन्मुखी शिक्षा (7) पूंजीवाद की समाप्ति (8) भू-हदबंदी शुरू करना । उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे हथियार और गोला बारूद लाने के प्रयोजन से सुरक्षा कर्मियों को सम्बद्ध कर रहे हैं ताकि विधिवत स्थापित मणिपुर की सरकार तथा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा सके ।"

17. इस गवाह की गवाही भी उन लोगों के कठोर दृष्टिकोण को उजागर करती है जो क्षेत्र के लोगों के हित में कार्य करना पसंद करते हैं ।

18. पी0डब्ल्यू0-7 एस·आई येलय भीष्म सिंह का बयान :-

"मुझे 21·2·1997 को थोबल पुलिस स्टेशन में सब इंसपेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। मेरे सामने में केसोपी (कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी) के उग्रवादी संगठन से संबंधित मामले आए । मेरे ध्यान में के·सी·पी· संगठन (कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी) से संबंधित मामले सामने आए । मेरे सामने के·सी·पी· से संबंधित उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मामले सामने आए । अभी तक, शस्त्र अधिनियम, 25(1-ख) और 13 यू·ए·पी· एक्ट और 5 विस्फोटक सब स्टनसेज अधिनियम आई0पी0सी0 अधिनियम की उप धारा 121/121-ए के अंतर्गत मैंने एफ·आई·आर· जिसका नं0 83 (7) 97 है की मूल प्रति लगायी है ।

6·7·1997 को लगभग 5 बजे सुबह मेजर एन·एस·नारंग अपनी पार्टी के साथ थोबल कियाय सिफई के विशेष स्थान पर खोज के लिए पहुंचे । थोबल कियाम सिफई में श्री मोहरी सोरो खोयाम, जिनकी आयु लगभग 40 वर्ष थी के घर में रेड करने

के उपरांत उनके घर से दो सशस्त्र व्यक्तियों को पकड़ा गया । उनकी तलाशी के दौरान उनसे देशी ए के 47, एक ए के 47 की मैगजीन, 9 एम एम के तीन चक्र गोली, एक 36 हथगोला ﴾के टी एफ ए ए﴿ और डी-86 का एक डगनेटर प्राप्त हुआ । दूसरा पकड़ा गया व्यक्ति युयूनाबजम मेयुनु उर्फ डोलेन्दो था । इससे स्वदेश निर्मित 9 एम एम कारबाईन, 9 एम एम के तीन जीवित कारतूस, एक मैगजीन समेत मैगजीन में तीन कारतूस बरामद हुए ।

इससे पूर्व यह मामला लिगोंग पुलिस स्टेशन, थोबल में प्रतिवेदित किया गया था और इसके उपरांत इसे योबल पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि यह इलाका उनके क्षेत्राधिकार में है । प्रथम सूचना रिपोर्ट ﴾ मूल प्रति देखी गयी और वापिस की﴿, इस रिपोर्ट की एक प्रति जिसको प्रदर्श में पृष्ठ 6 पर रखा गया है, जांच पड़ताल के दौरान यह ज्ञात हुआ था कि ये दो उग्रवादी के सी पी संगठन ﴾कांगलिपाक कम्युनिस्ट पार्टी﴿ के कार्यकर्त्ता थे, और ये इस संगठन में फरवरी, 1997 माह में ही भर्ती हुए थे। फरवरी, 1997 में के•सी•पी• में आने के उपरांत और 21•2•97 को पकड़े जाने से पूर्व लूटे गए शस्त्र और बारूद की मदद से ये जनता से धन लूटते थे ।
इ पकड़े गए व्यक्तियों से लूटी गई 14000 रु0 की राशि को श्री मंगांछा, जिला कमांडर के पास पार्टी चंदा के रूप में के•सी•पी• के लक्ष्यों और उद्‌देश्यों का प्रचार, प्रस्तुति और संवर्धन करने के लिए जमा कर दिया गया । अभी मैंने चार्ज और प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि एफ•एस•एल• से अभी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है ।

के•सी•पी• का मुख्य उद्‌देश्य हिंसात्मक कार्यवाई करके भारत संघ से मणिपुर को पृथक करना है और लूटे गए धन से एक ऐसा आत्म निर्भर मणिपुर राज्य स्थापित करना है जिसकी सरकार साम्यवादी हो, इसके एरिया कमांडर और जिला कमाण्डर शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त करते रहते हैं ताकि उनका प्रयोग भारत संघ और राज्य सरकार के सुरक्षा बलों के अलावा विधिवत और कानूनी तरीके से स्थापित मणिपुर राज्य सरकार, तथा भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध चलाने में किया जा सके ।

19• इससे हमें इस बात की भी जानकारी हो जाएगी कि देश के उस भू भाग में क्या हो रहा है ।

20. पी॰ डब्ल्यू॰-8 एस॰आई॰ छकछुकलारो पुइया का कहना है कि :-

"मैं 5॰5॰1995 से चूड़ाचांद पुर में तैनात हूँ । इस अवधि के दौरान मुझे के॰वाई॰के॰पल॰ (कांगलाल याओल कन्ना लुप) नामक एक उग्रवादी संगठन की गतिविधियों का पता चला है ।

मैं अपने साथ मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78(4)97 पुलिस थाना चुराचांदपुर (मूल देखी और लौटा दी गई) लाया हूँ । इसकी प्रति प्रदर्श पी-17 के रूप में रिकार्ड में रखी गई है । उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट भा0दं0संहिता की धारा 121/121-ए/307/384/511 , 25(1-बी) शस्त्र अधिनियम तथा यू0ए0पी0 अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर की गई थी ।

11॰4॰97 को सायं लगभग 5॰20 पर एच ब्रजमणि शर्मा, एस॰डी॰पी॰ओ॰ चुराचांदपुर पुलिस थाना एस्कार्ट पार्टी सहित चूराचांदपुर, न्यू बाजार में गश्त पर थे । गश्त के दौरान पिस्तौल लिए हुए एक व्यक्ति ने जे टीमोथी नामक एस्कार्ट कांस्टेबल पर गोली चलाई । सौभाग्य से वह राउंड नहीं चला तथा यह दृश्य देख कर दूसरे एस्कार्ट ने एक कुवराकपम सोमोरजीत मैतेयी उर्फ राधा को काबू कर पकड़ लिया । उसे पकड़ने तथा तलाशी लेने के पश्चात एक स्वचालित एम॰के॰-11/ /श्रेणी 70 का सरकारी माडल बरामद हुआ तथा उसे जब्त कर लिया गया । इसके अतिरिक्त जीवित राउंड, 5 राउंड कार्टेज बरामद किए गए तथा जब्त किए गए । इसके अतिरिक्त दो नोट पैड भी बरामद किए गए जिनको मैं यहां नहीं लाया हूँ तथा जब कभी यह माननीय प्राधिकरण आदेश करेगा इनको प्रस्तुत किया जा सकता है ।

इस गिरफ्तार व्यक्ति से मेरी पूछताछ करने से यह पता चला कि वह के॰वाई॰के॰पल॰ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता है । मेरी जांच से यह भी पता चला कि वह बस मालिकों से पार्टी फंड के लिए जबरन धन ऐंठ कर धन एकत्र करने के लिए चूराचांदपुर आया था । आगे और पूछताछ करने पर यह भी पता चला कि वह फुट ड्रिल के लिए शस्त्र एवं गोला बारूद का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से बंगलादेश गया था । शस्त्र एवं गोला बारूद में यह प्रशिक्षण वे॰के॰वाई॰के॰पल॰ के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्रापत करने के विशेष प्रयोजन हेतु लेते हैं । के॰वाई॰के॰पल॰ के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : (1) मौजूदा मणिपुर राज्य में सभी उग्रवादी संगठनों को एक मंच पर संगठित करना तथा इस प्रकार भारत सरकार तथा मणिपुर राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़कर वर्तमान भारत संघ से मणिपुर राज्य की प्रभुसत्ता हासिल करना जिससे इस क्षेत्र को भारत

सरकार से पृथक करना । धन ऐंठने की उक्त कार्रवाई, जो कि बस मालिकों से की गई बताई गई थी, के0वाई0के0एल0 के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अपने संगठन के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र एवं गोला-बारूद खरीदने के उद्देश्य से की जाती थी ।

21. पी0डब्ल्यू0 9 एस0आई0 सिमोजिंग विसन अपना साक्ष्य देंगे:-

"मुझे 29.3.97 से लामलाई पुलिस थाने पर तैनात किया गया । मुझे के0वाई0के0एल0 (कांगलेई याओल कन्ना लुप) उग्रवादी संगठन के कार्यकर्त्ताओं की गतिविधियों का पता चला है । वर्तमान पुलिस थाने में मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने भा0दं0संहिता की धारा 121/121-क/307/212/34, 25(1)-ख) शस्त्र अधिनियम, 13 यू0ए0पी0 अधिनियम के तहत मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12(1)96/एल0एल0आई0 पुलिस थाना पर कार्यवाई की । मैं मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट लाया हूं । इसकी प्रति प्रदर्श पी0-18 (मूल देखी गई तथा लौटाई गई) के रूप में चिन्हित है ।

27.1.96 को सांय लगभग 5.30 पर लाम्बलाई के एक संयुक्त सुरक्षा बल ने यैंगगपोकपी के निकट वेगहोन नामक गांव की घेराबंदी कर घर की तलाशी ली । की जा रही तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों तथा संभावित के0वाई0के0एल0 के भूमिगत कार्यकर्त्ताओं के बीच मुठभेड़ हुई । इस मुठभेड़ के फलस्वरूप एक अज्ञात युवक गोली से घायल हुआ अन्य भूमिगत व्यक्ति, बचकर भाग निकला । तलाशी के दौरान थागन गांव के 30 वर्षीय होपसन थंगखुल सुपुत्र हैमिंग टी0 को उसके घर से बरामद हुए के0वाई0के0एल0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया । उपर्युक्त होपसन ने के0वाई0के0एल0 के भूमिगत कार्यकर्त्ताओं तथा उनके शुभचिंतक को पनाह दी थी । गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड प्रदान किया गया और तत्पश्चात न्यायिक हिरासत प्रदान की गई । उक्त होपसन से पूरी तरह तथा बारीकी से पूछताछ की गई तथा उसने बताया कि 24.1.96 को उस अज्ञात युवक ने उससे यैंगगपोकि के निकट जंगल से ईंधन की लकड़ी काटने का काम देने का अनुरोध किया था और 24.1.96 के बाद यह युवक उसके घर में रहा । उक्त हताहत युवक ने अपना परिचय मनिल लेक के खेडम गोपाल सिंह उम्र 23 वर्ष सुपुत्र स्व0 बाबू सिंह के रूप में दिया । उक्त शुभचिंतग से 18 दस्तावेज बरामद हुए । ये 18 दस्तावेज के0वाई0के0एल0 के लैटर हैड पर छपी कैश प्राप्ति बुक (खाली) थी ।

मैं अपने साथ मूल प्राप्ति रसीद तथा लैटर हैड लाया हूं तथा एक छाया प्रति रिकार्ड में रखी गई है तथा उसे प्रदर्श पी-19 (मूल वेखकर लौटा दी गई) के रूप में चिन्हित किया गया है । बरामद हुए तथा जब्त किए गए दस्तावेजों से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के अपराध संबंध की पुष्टि हुई तथा इससे उग्रवादी संगठन के0वाई0के0एल0 के साथ उसके संबंध सिद्ध हुए ।

के0वाई0के0एल0 उग्रवादी संगठन का उद्देश्य भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना तथा वर्तमान मणिपुर राज्य को भारत संघ से अलग करना और मौजूदा मणिपुर राज्य तथा दक्षिण-पूर्वी मध्य एशिया के भौगोलिक क्षेत्रों को एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र कराना है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधि द्वारा स्थापित मणिपुर सरकार तथा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से शस्त्र एवं गोला-बारूद प्राप्त करने के प्रयोजन से वे सुरक्षा कार्मिकों पर हमला कर रहे हैं । मणिपुर की वर्तमान घाटी क्षेत्रों में मूलरूप से रहने वाला एक सम्प्रदाय मैती के नाम से जाना जाता है । उनका उद्देश्य मणिपुर को प्रथक कर एक प्रथक मणिपुर राष्ट्र बनाना है ।

22. इन अभिसाक्ष्यियों के साक्ष्य से देश के उस भाग में व्याप्त स्थिति का भी पता चलेगा ।

23. अभियोजन साक्षी 10 श्री एस0 विनेश कुमार सिंह, अपर सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, इम्फाल तथा अभियोजन साक्षी 11 श्री राम फल, डेस्क अधिकारी, गृह मंत्रालय (एन0ई0 प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली से इस अधिसूचना के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों में फेरबदल के बारे में पूछताछ की गई ।

24. श्री राम फल के शपथ-पत्र का महत्वपूर्ण अंश निम्न प्रकार है:-

"भारत सरकार को कुछ मैती उग्रवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न मणिपुर राज्य में विद्रोह की समस्या से निबटना है । ये उग्रवादी संगठन हैं - सामान्यतः पी0एल0के0 रूप में जानी जाने वाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0) जो कि रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0) नामक संगठन का शस्त्र विंग है, पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक जो सामान्यतः पी0आर0ई0पी0ए0के0 के नाम से जानी जाती है और इसका रेड

आर्मी नामक फ्रंट संगठन तथा पार्टी (के0सी0पी0) और इसका सशस्त्र विंग तथा रेड आर्मी के नाम से भी जानी जाती है, द यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0), दोनों गुट और कांगलई यावोल कन्बा लुप (के0वाई0के0एल0) अब से संयुक्त रूप से मैती उग्रवादी संगठन के रूप में जाना जाएगा । इन सभी उग्रवादी संगठनों ने खुले तौर पर एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न मणिपुर राज्य के गठन के रूप में अपने उद्देश्य की घोषणा कर दी है जिसमें मौजूदा मणिपुर राज्य होगा । वे इस उद्देश्य को ऐसा भारत संघ के क्षेत्र में से मणिपुर राज्य के क्षेत्र से मौजूदा मणिपुर राज्य के क्षेत्र को अलग करके हासिल करना चाहते हैं । इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए यह संगठन तथा उनसे जुड़े व्यक्ति इन क्षेत्रों के नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों पुलिस तथा सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बना रहे हैं तथा आतंकित कर रहे हैं । भारत संघ से मणिपुर राज्य को अलग करने के नापाक इरादे को पूरा करने के लिए वे डराने धमकाने तथा जनता से अवैध रूप से भारी मात्रा में धन ऐंठने की कार्रवाइयों में भी लिप्त रहे हैं उन्होंने सुरक्षित रूप से आवागमन, आश्रय, प्रशिक्षण तथा अवैध रूप से शस्त्र एवं गोला-बारूद जुटाने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ दूसरे देशों से भी संपर्क किया है जो भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरनाक है ।

सभी 5 मैती उग्रवादी संगठनों ने पर्चे तथा हैंड आउट्स भी जारी किए हैं । रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0) जो कि पी0एल0ए0 का राजनैतिक विंग है, ने 1990 में प्रथम पार्टी कांग्रेस में स्वीकार्य किए गए अपने संविधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि वह अपनी आर्मी को पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी0एल0ए0) के नाम से जानेगी और यह कि "स्वतंत्रता संग्राम" में शामिल होने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस पार्टी का सदस्य हो सकता है । इसके अतिरिक्त 25 फरवरी, 1995 को आर0पी0एफ0 द्वारा जारी किए गए "मणिपुर की प्रभुसत्ता की मांग का संक्षिप्त ब्यौरा" पर्चे में मणिपुर के लोगों का आह्वान किया गया था कि वे "मणिपुर तथा इसके लोगों के लिए प्रभुसत्ता तथा स्वनिर्णय" के लिए लड़े । उन्होंने भारत के सामंतवादी विचारधारा वाले लोगों के तथाकथित अवैध और असंवैधानिक व्यवसाय का भी भर्त्सना किया ।

इसी प्रकार, यू0पन0पल0पफ0 ने मणिपुर के भारत संघ में विलय का विरोध किया और वे भारत द्वारा मणिपुर के तथाकथित विलय के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं । अपनी मांगों के समर्थन में यू0पन0पल0पफ0 मणिपुर की जनता को यह संदेश दे रहे हैं और उनसे पिछले कुछ वर्षों से 21 सितम्बर से 25 अक्टूबर तक "भारत विलय माह का विरोध" करने का अनुरोध कर रहे हैं । पी0आर0ई0पी0प0के0, के0सी0पी0 तथा के0वाई0के0पल0 ने भी मणिपुर को भारत संघ से अलग करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में सशस्त्र संघर्ष अपना लिया है । अपने अलगाववादी, आतंकवादी तथा हिंसक गतिविधियों को जारी रखने के लिए साधन जुटाने के लिए सभी 5 उग्रवादी संगठन निरन्तर डराने धमकाने तथा आम जनता से विशेषकर व्यवसायियों तथा व्यापारियों से जबरन धन ऐंठने का सहारा ले रहे हैं । 1•9•1995 से 31•10•1997 की अवधि के दौरान पांच मैती उग्रवादी संगठनों द्वारा जारी पिम्फलैट्स, हैण्ड आउट्स तथा डिमाण्ड नोटिसों सहित अनेक दस्तावेज संलग्न हैं । इनमें उनके अलगाववादी उद्देश्यों, आतंकवादी तथा हिंसक साधनों तथा डराने धमकाने तथा धन ऐंठने की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है । 1•9•1995 से 31•10•1997 की अवधि के दौरान आतंकवादी तथा हिंसक गतिविधियों, जिनमें ये 5 उग्रवादी संगठन शामिल थे, का विवरण दर्शाने वाला दूसरा विवरण संलग्न है ।

विगत में मैती उग्रवादी संगठनों को विधि विरुद्ध गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत "विधि विरुद्ध संगठनों" के रूप में घोषित कर दिया गया था । पी0पल0प0 तथा पी0आर0ई0पी0प0के0 तथा रेड आर्मी नामक इसके संगठन को पहले 26•10•1979 से दो वर्ष की अवधि के लिए "विधि विरुद्ध संघों" के रूप में घोषित किया गया था । पी0पल0प0 तथा पी0आर0ई0पी0प0के0 के अतिरिक्त के0सी0पी0 को भी 26•10•1983 से विधि विरुद्ध संघ के रूप में घोषित किया गया था । इसी प्रकार यू0पन0पल0पफ0 को भी 26•10•1987 से विधिविरुद्ध संघ के रूप में अधिसूचित किया गया था । के0वाई0के0पल0 को पहली बार 26•10•1995 से विधिविरुद्ध संघ के रूप में अधिसूचित किया गया था । मैती उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संघों के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचनाओं तथा इस प्रयोजनार्थ गठित किए गए प्राधिकरणों द्वारा की गई अभिपुष्टियों को भी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । "विधिविरुद्ध संघों" के रूप में अलगाववादी तथा उग्रवादी संगठनों की घोषणा उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए

विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों के लिए सहायक है । यह इस प्रकार घोषित संगठनों को स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार करने से भी रोकती है तथा ऐसे व्यक्तियों, जो इनके सदस्य नहीं हैं, को इन संगठनों की मदद करने के लिए हतोत्साहित करती है । 1·9·1995 से 31·10·1997 तक की अवधि के दौरान पंजीकृत मामलों/प्रस्तुत किए गए आशय पत्रों तथा मणिपुर सरकार द्वारा इन संगठनों के कार्यकर्त्ताओं पर चलाए गए अभियोजन के विवरण को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । मणिपुर राज्य सरकार और अन्य स्त्रोतों से समय-समय पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि मैती उग्रवादी संगठनों नामशः पी0एल0ए0, प्रीपाक, के0सी0पी0 और यू0एन0एल0एफ0 और उनके फ्रन्ट संगठनों और सशस्त्र विंगों के भी उद्देश्यों और दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है । वास्तव में नया मैती उग्रवादी गुट, नामशः कांगलेई याओल कांबा लुप (के0वाई0के0एल0) का गठन यू0एन0एल0एफ0 (अेकन गुट) प्रीपाक (खुम्बा गुट) और के0सी0पी0 (इबोपिशाक गुट) के कुछ सदस्यों द्वारा किया गया था । प्रेस की एक सूचना के अनुसार उपरोक्त गुटों ने 23·5·94 को बैठक करके भारत संघ से अलगाव के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मणिपुर राज्य में सक्रिय सभी मैती अलगाववादी गुटों, जिन्हें प्रियोक्ति के रूप में क्रांतिकारी गुट कहा गया है, को संगठित करने के खुल्लम-खुल्ले उद्देश्य से के0वाई0के0एल0 के गठन का निर्णय लिया था । इन सभी पांचों मैती उग्रवादी संगठनों ने मणिपुर के अलगाव को अपना सतत उद्देश्य बना रखा है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये आतंकवादी और हिंसक तौर-तरीके अपनाते रहे हैं ।"

25· हलफनामे में सरकार का सामान्य दृष्टिकोण भी दोहराया गया है ।

"दूसरी ओर सरकार की यह नीति रही है कि अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाए जबकि साथ-ही-साथ सरकार उनको राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के भी सतत प्रयास करती रही है बशर्ते कि वे हिंसा का मार्ग त्यागकर भारत के संविधान के दायरे में काम करने पर राजी हो जाए । इस व्यापक नीतिगत ढांचे के तहत सरकार ने कई श्रृंखलाबद्ध उपाय किए हैं जिनमें गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को "अशान्त क्षेत्र" घोषित करना, अत्यधिक सांघातिक विद्रोही गुटों को "विधिविरुद्ध संगम" अधिसूचित करना, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त टुकडियां तैनात करना, राज्य पुलिस बलों और जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को वित्तीय सहायता का विस्तार शामिल है ।"

26. विकास कार्यों के संबंध में भारत सरकार का कहना है कि :-

"इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास के लिए सरकार ने उन सबको विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया था जिससे वे 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण आधार पर केन्द्रीय विकास सहायता प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं जबकि दूसरे राज्यों को यह सहायता 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण आधार पर मिलती है । पूर्वोत्तर राज्यों का अधिकांश गैर-आयोजना व्यय भी केन्द्र सरकार ही पूरा करती है । पूर्वोत्तर परिषद (एन0ई0सी0) की स्थापना 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों के विकासात्मक प्रयासों, विशेषकर विद्युत परियोजना, सिंचाई परियोजना, अंतर्राज्य सड़कों, बाढ़ नियंत्रण योजनाओं आदि जैसी अंतर्राज्य प्रासंगिकता वाली बड़ी आधारभूत परियोजनाओं की मदद करने के उद्देश्य से किया गया था । विकासात्मक कार्यकलापों और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मंत्रियों की एक समिति भी केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है । बड़ी विकास परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए इसकी सामयिक आधार पर बैठकें होती है और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं

इन उपायों के एक मात्र के रूप में रेलवे ने शेष देश के साथ शेष देश के साथ पूर्वोत्तर रेलवे नेटवर्क को जोड़ने के लिए मीटरगेज रेलवे लाईन को ब्रोडगेज में बदलने का जिम्मा लिया है । इसी प्रकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों पर सुविधाओं के उन्नयन और सुधार करने के अलावा निजी एयरलाइनों को पूर्वोत्तर में गंतव्यों को जोड़ने की अनुमति दी है । महत्वपूर्ण विकासात्मक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के अलावा ऐसी परियोजनाएं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है ।

27. अपने हलफनामे में सरकार ने कहा है कि यह मैती संगठन 26.10.95 से विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के बावजूद सतत रूप से ऐसी विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त रहा है ।

28. अपने हलफनामे में सरकार ने जो भी बातें कही हैं वे सारी सरकार द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों में स्पष्टतया सामने आई है और सरकार का कहना है कि :-

"अपने पास उपलब्ध सारी सूचना की जांच करने के बाद केन्द्र सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि "द पीपल्स लिब्रेशन आर्मी" जिसे आमतौर पर पी0एल0ए0 के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजनैतिक शाखा रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0) द पीपल्स पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (प्रीपाक) और "रेड आर्मी" के नाम से जानी जाने वाली इसकी सशस्त्र शाखा और कांगलेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) जैसी प्रीपाक की प्रशाखाएं भी तथा "रेड आर्मी" नामक इसकी भी सशस्त्र शाखा एवं यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0) तथा कांगलेई याओल कांबा लुप (के0वाई0के0एल0), (जिन सबको इसके बाद मैती उग्रवादी संगठन कहा गया है) -

(i) अपने वर्तमान मणिपुर राज्य को मिलाकर एक स्वतंत्र संप्रभू मणिपुर देश की स्थापना को अपना उद्देश्य खुलेआम घोषित कर रखा है और भारत संघ से उक्त राज्य को अलग करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते रहे हैं ।

(ii) अपने उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र व्यक्तियों, अतिवादियों नाम से तथाकथित पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी, रैड आर्मी, उनके सदस्य एवं उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों को अपने कार्यों में लगाते रहे हैं ।

(iii) अपने उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय सुरक्षा बलों, विधि सम्मत सिविल सरकार और मणिपुर राज्य के नागरिकों पर हमला कराने के लिए सशस्त्र उग्रवादियों और/या सदस्यों को अपने कार्य में लगाते रहे हैं तथा अपने संगठनों के लिए धन संग्रहित करने के लिए नागरिकों के विरुद्ध आगजनी, लूटपाट और डराने धमकाने के कार्यों में संलिप्त रहे हैं ।

(iv) अपने उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शस्त्र गोलाबारूद प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों से अपने संबंध बनाने का प्रयास करते रहे हैं ।

29. संगठन की विधिविरुद्ध गतिविधियों के बारे में स्वयं का समाधान होने के बाद ही सरकार ने यह राय बनाई थी और अधिसूचना जारी की थी । सरकार द्वारा लिया गया निर्णय निम्नवत है -

"केन्द्र सरकार पुनः इस नतीजे पर इसलिए पहुंची है क्योंकि -

(क) मैती उग्रवादी, सशस्त्र गुट और पांचों मैती "संगठनों के सदस्य नागरिकों पर और पुलिस/सुरक्षा बलों के कार्मिकों पर बार-बार सतत और बिना रुके हमला करते रहे है और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं -

(iii) मैती उग्रवादी संगठनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है ।

(iiii) धन की लूट-खसोट और अत्याधुनिक हथियारों की प्राप्ति तेजी से की जा रही है । कुछ पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना के बारे में सूचनाएं अधिक मिल रही हैं ।

30. प्रस्तुत साक्ष्यों और मेरे समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पूर्णतः न्यायसंगत है और उक्त संगठनों को विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(2) के तहत विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं ।

31. इस मामले को छोड़ने से पहले इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी संबंधितों से मेरा अनुरोध है कि वे श्री सत्य साई बाबा द्वारा दी गई इस सलाह को ध्यान में रखें कि एक सही काम का परिणाम कभी बुरा नहीं होता है । बाबा ने कहा था कि :-

> यदि दिल में सफाई होगी तो चरित्र में सुंदरता होगी, यदि चरित्र में सुंदरता होगी, तो घर में सामंजस्य आएगा, जब घर में सामंजस्य आएगा तो देश में व्यवस्था आ जाएगी जब देश में व्यवस्था आ जाएगी तो विश्व में शांति छा जाएगी ।"

32. मुझे पूरी आशा है कि विधिविरुद्ध कार्यकलापों में संलिप्त व्यक्तियों को एक-न-एक दिन सदबुद्धि जरूर आएगी और वे बाबा के स्वर्णिम शब्दों में "सत्यमवद धर्मम् चर का अनुपालन करेंगे ।"

33. अधिसूचना का0आ0 780(अ) दिनांक 13 नवम्बर, 1997 की विधिविरुद्ध (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 के तहत पुष्टि की जाती है ।

मई 6, 1998

ह0/-
(अध्यक्ष)
विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण)
अधिकरण

[सं. 8/67/97-एन. ई. I]
जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1998

S.O. 399(E).—The following is published for general information:—

BEFORE HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAMOORTHY

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

In the matter of :

MEITEI EXTREMIST ORGANISATIONS -

[THE] UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

The Government of India issued the Notification S.O. 780 (E) dated 13th November, 1997 and the same reads as under :-

"Whereas the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wring also called the "Red Army" and the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have :

(i) openly declared as their objective the formation of an independent Manipur by secession of Manipur estate from the Union of India;

(ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objective;

(iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur;

(iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisation; and

(v) been making efforts to establish contracts with sources abroad for influencing public opinion and for securing assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

2. And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations, namely, the People Liberation Army (PLA) and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its Red Army, the Kangkeipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the Red Army and Kanglei Yaol Kanba Lub (KYKL) to be unlawful associations.

4. And whereas-

(i) there have been repeated continuing and on going acts of violence and attacks by (armed groups and members of the Meitei Extremist Organisations) on the Security Forces and the civilian population;

(ii) there has been an increase in the strength of the Meitei Extremist Organisations;

(iii) there has been continued collection of funds/extortions and acquisition of sophisticated weapons;

(iv) camps in some neighbouring countries continue to be maintained for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

5. And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the Meitei Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled the said Meitei Extremist Organisations would regroup and rearm themselves, expand their cadress, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their activities aimed at secession of Manipur from the Union of

India.

6. Having regard to the circumstances referred in paragraph 4 and 5, Government is of the opinion that it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations, namely, Peoples Liberation Army (PLA) and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), United National Liberation Front (UNLF), People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kangleipak Communist Party (KCP) and their armed wing called as "Red Army", and Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) as unlawful associations with immediate effect, and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section (3) the Central Government directs that the Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of publication in the Official Gazette."

2. The Tribunal after taking charge issued notices to the concerned parties and after the parties were served, the Government of India, as required under the law, filed affidavits and documents. The Organisations called Meitei Extremist Organisations were served by publication also. They have not chosen to appear and contest the matter. On behalf of the Government of India, affidavit was filed by Shri Ram Phal, Desk Officer explaining the circumstances under which the Notification came to be issued. On behalf of the State of Manipur and State of Assam, witnesses were examined and documents were marked.

3. The details of the witnesses and the documents are as follows :-

P.W.1 Inspector Laishram Birabu Singh
P.W.2 S.I. Leichombam Basanta Singh
P.W.3 S.I. Gaithoilung Longmei
P.W.4 S.I. Yengkokpam Chandra Mani Singh

P.W.5 S.I. Hidangmayum Rameshwar Sharma
P.W.6 Shri Hopeson Chiphang
P.W.7 Shri Yelam Bhishma Singh
P.W.8 Shri Chhakchhuak Lalropuiya
P.W.9 Shri Shimzing Vinson
P.W.10 Shri S. Dinskumar Singh, Addl. Secy. (Home),Govt. of Manipur, Imphal.
P.W.11 Shri Ram Phal, Desk Officer, Govt. of India, Ministry of Home Affairs.

Ex. P.1 FIR No. 21 (4) of 1966 P.S. Moirang
Ex. P.2 FIR No. 55 (8) of 1996 P.S. Bishnupur
Ex. P.3 FIR No. 37 (8) of 1997 P.S. Lamshang
Ex. P.4 FIR No. 119(6) of 1997 P.S. Lamphel
Ex. P.5 to P.10 photo copies of documents recovered and seized.
Ex. P.11 F.I.R. No. 815 (11)/95
Ex. P.12 Receipt No. 201 issued on the letter pad of People's Revolution,ary Party of Kangleipak.
Ex. P.13 FIR No. 243(11)95 P.S. Singjamei
Ex. P.14 & P.15 photo copies of documents recovered and seized.
Ex. P.16 FIR No. 83 (7) of 1997 P.S. Thoubal
Ex. P.17 FIR No. 78 (4) of 1997 P.S. Churachandpur.
Ex. P.18 FIR No. 12 (1) of 1996 P.S. Lamlai
Ex. P.19 Receipt No. 101 on the letter pad of Kanglei Yawol Kanna Lup.
Ex. P.20 Affidavit filed by Shri S. Dinskumar Singh, Additional Secretary (Home), Govt. of Manipur, Imphal.
Ex. P.21 Affidavit dated 13.2.1998 of Sh. Ram Phal, Desk Officer, Govt. of India, Ministry of Home Affairs.

Ex. P.22 Notification dated 13.11.1997.

3. The evidence of the witnesses examined from the side of the Government would clearly show that the issuance of the Notification was fully justified for the sake of the maintenance of law and order not only in the area concerned but the entire nation as a whole. Having regard to the democratic polity of our country if any one part of the country is afflicted with any ailment, as it were that is bound to affect the other parts of the country socially, economically and politically. Every

citizen of this country who thinks in terms of the welfare of the entire nation and the sectarian attitudes will not only hamper the progress of the country materially but would push us back into the oblivion when the people of the world are working hard for securing peace and harmony in the globe. When we are entering hopeful and happy millenium unless all Indians work and strive together for the upliftment of the poor and down trodden, our country cannot eradicate the poverty and would have to lag behind and languishing, when other countries are able to achieve everything required for a decent living.

4. In the first paragraph of the Notification all the Organisations are collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations. This word Meitei represents the descendants of the original inhabitants of East India and a study of history would show and those people were maintaining very high degree of learning culture and they were called Maithree. Sri Sathya Sai Baba explaining the quality of these people would say :-

> "The foundation for real peace is, according to the Vedhas, the quality of Maithree, which means amicability, friendship, compassion, kindness. It can also be taken to mean, "my three", that is to say, my word, deed and thought shall be in accordance with thy word, thought and deed; that is to say, we shall speak, think and act together, without friction or faction, in the atmosphere of love and understanding; that is what is wanted in the world today, My three."

5. It is really disturbing that the successors of those men and women have taken up arms against the established Government. The people have forgotten the

great ideals and principles set for us by the Father of the Nation and other great leaders. By resorting to violence people cannot achieve anything. The Father of the Nation had proved that through love and affection and through methods recognised as non-violent people can achieve great things. I do not intend to indulge in any pedantic analysis of the situation, nor do I propose to act as a preceptor. When an occasion had arisen to tell some of my brothers and sisters living in East India that resorting to violence would be counter productive and will only affect the people of the region and it will take perhaps centuries before we are able to set things right. The people will have to follow the following ten principles given to us by Sri Sathya Sai Baba and if they really want to act in the interest of the people of the region they have to come to main stream of the nation and the people living in other parts of the country would be always ready and willing to receive them and render all assistance required :-

"LOVE AND SERVE THE MOTHERLAND; DO NOT HATE OR HURT THE MOTHERLAND OF OTHERS.

HONOUR EVERY RELIGION; EACH IS A PATHWAY TO THE ONE GOD.

LOVE ALL MEN WITHOUT DISTINCTION; KNOW THAT MANKIND IS A SINGLE COMMUNITY.

KEEP YOUR HOME AND ITS ENVIRONMENT CLEAN; IT WILL ENSURE HEALTH AND HAPPINESS FOR YOU AND FOR SOCIETY.

DO NOT THROW COINS WHEN BEGGARS STRETCH THEIR HANDS FOR ALMS; HELP THEM TO BECOME SELF RELIANT. PROVIDE FOOD AND SHELTER. LOVE AND CARE FOR THE SICK AND THE AGED.

DO NOT TEMPT OTHERS BY OFFERING BRIBES OR DEMEAN YOURSELF BY ACCEPTING BRIBES.

DO NOT DEVELOP JEALOUSY, HATRED OR ENVY ON ANY COUNT.

DO NOT DEPEND ON OTHERS TO SERVE YOUR PERSONAL NEEDS; BECOME YOUR OWN SERVANT,BEFORE PROCEEDING TO SERVE OTHERS.

OBSERVE THE LAWS OF THE STATE AND BE AN EXEMPLARY CITIZEN.

ADORE GOD, ABHOR SIN.

6. This preliminary observation I thought would be helpful in sending the message to the people concerned and I have thought it fit to refer to these aspects as the Government is dealing with human problems.

7. I now hark back to analysis of the evidence adduced on behalf of the Government. P.W.1 Inspector Laishram Birabu Singh would state:-

"I am posted at Moirang Police Station as Inspector since 22.12.1996. On 9.4.1996 at about 6.45 P.M., the then S.P. T.K. Rao along with his escort party were proceeding towards Curachandpur and on the way on reaching Sangailou near Gelnol Village the S.P. and escort party were ambushed by some miscreants/extremists, suspected to be valley extremists. In that ambush, the then S.P. and 8 other police personnel and three civilians including two women were killed. After killing these persons the miscreants had fled away taking with them four AK-47 Rifles with some ammunition, three sten carbine and one Revolver, one Mobile Wireless Set and five bullet proof vests. Then one case was registered suo moto by the then Officer Incharge, P.S. Moirang bearing F.I.R. No. 21 (4) of 1996 under Sections 121/121A/307/302/395/397 I.P.C., 25 (1-B) (a) Arms Act, 13 U.A.P. act dated 9.4.1996. I have brought the original F.I.R. (original produced and perused). Copy is marked as Ex. P.1. I have not filed the charge-sheet in the Court as yet. During the course of

investigation conducted by me, although earlier it was believed to be a case of suspected valley miscreants but later on after arrest of two accused persons it was revealed that this was handi work of arms miscreants belonging to People's Liberation Army and it is ascertained and confirmed. On the interrogation of Thokchom Bijoy @ Bhupendero @ Tiken S/o Sh. Ibohal Singh of Thinungei Awang Leikai, it was revealed that the modus operandi adopted by them was to first burn the particular portion of the village and as a result of gutting of certain houses somebody informed the Police Station Moirang, the then Officer Incharge of the Police Station Moirang contacted the Fire Brigade Personnel and in the meantime the S.P. Bishnupur District, who was proceeding to Churachandpur side and on the way he was ambushed. This particular accused interrogated by me was not directly involved in the ambush but was a party for the purpose of gutting the houses to the People's Liberation Army. This Organisation has got its another wing called RPF i.e. Revolutionary People's Front. Aims and objects of the PLA and RPF is to secede Manipur out of the Union of India, (2) formation of sovereign State of Manipur, (3) to regain the allegedly lost territories of Manipur, (4) to unify the peoples of the Mongoloid origin in the Geographical contiguous areas of South East Middle Asia into a nation. In order to achieve the aforesaid objectives they are attacking the security personnel for the purpose of taking arms and ammunition in order to wage war against the lawfully established Government of Manipur as well as Govt. of India. A community originally living in present Manipur mainly in valley area is called Meitei community."

8. This would show that some people assuming that they are trying to do something good for the people in the region had resorted to methods which are not only opposed to human decency but totally destructive of the moral fibre of the country. The instances spoke to by P.W.1 stand established beyond doubt.

9. P.W.2 S.I. Leichombam Basanta Singh in his

evidence had narrated the events known to him and his evidence reads as under :-

> "I am posted in Bishnupur Police Station as Sub Inspector since 10.4.1994. I have brought the original F.I.R. No. 55 (8) of 1996 of P.S. Bishnupur under Sections 121/122/302/34 IPC, 25 (1-B) Arms Act and 13 UAP Act. This is connected with extremists who are having their loyalties with extremists Organisations PLA/RPF. I have investigated this case. On 31.7.1996 at about 9 P.M. three non Manipuries were killed at near Ningthoukhong river. The three non Manipuries were killed for not paying the tax, which was ordered to be levied upon them by the militants belonging to the extremists organisation PLA/RPF and since the deceased persons refused to pay the tax they were killed so as to make them as an example for the others. During the course of investigation of this case, one accused person namely M. Gopendra @ Tony of Kumbi or was arrested. During the sustain interrogation on the disclosure this accused M. Gopendra @k Tony stated that along with his two associates he committed this crime of killing these non Manipuries with sten gun. M. Gopendra @ Tony himself disclosed that he belongs to the PLA Organisation. I have brought the original F.I.R. (original produced and perused). Copy of the same is Ex. P.2. PLA is a People's Liberation Army. The aim and object is to secede Manipur out of India, (2) to form a sovereign State of Manipur, (3) to regain the lost territories of Manipur, (4) to unify the people of Mangoloid origin in the Geographical contiguous areas of South East Middle Asia into a nation by waging war against the Govt. of India for using and holding unauthorised arms against the duly established authorities which include the security force of Govt. of India and the State of Manipur."

10. The evidence of P.W.2 also would reveal the state of affairs. The persons who are entrusted with maintaining law and order are killed brutally and no Government worth its name can be a silent spectator. It is one of the most fundamental duties of the Government to provide peaceful and congenial atmosphere for the people

to have free life as we have been having from time immemorial inspite of certain vicissitudes in the history of our nation.

11. P.W.3 SI Gaithoilung Longmei, who is a police officer in Police Station Lamshang stated in his evidence:-

> "Presently I am posted as Sub Inspector in Lamshang Police Station since 1.3.1996. I have brought the original F.I.R. No. 37 (8) of 1997 and a case connected the extremist organisation with it and the name of the extremist outfit is UNLF, United National Liberation Front. On 6.8.1997 a column of army raided one base camp of UNLF near Titilone village. The name of the hill is called Pundongba Hill. On approaching the base camp of UNLF army column came across a central post and they had to over power the Santries posted there. Consequently, the activists inside retaliated. This entailed in encounter. After about 30 minutes of encounter the UNLF extremists fled away from the place of encounter i.e. their base camp. Then the army personnel went inside the base camp and recovered two dead bodies and were also able to recover and seize huge arms and ammunitions, mostly of sophisticated nature which was abandoned by the said extremists while fleeing. I have brought the original F.I.R. No. 37 (8) of 1997 of P.S. Lamshang under Sections 121/121A/307 IPC, 25 (1-B) Arms Act, 5 Explosive Substances Act and 13 UAP Act. (Original produced and perused). Copy of the same is Ex. P.3. As per my investigation, the moto of establishing the base camp at titilone Village is to commit dacoity, robbery, snatching of arms and ammunitions from the security force at National High Way 53. I have arrested two accused persons, namely, Saraisam Ranjit Singh and Ningombam Nanao Singh. These arrested persons have admitted belonging to UNLF extremists organisation and had admitted undertaken training in Myanmar at Chumnu Training Centre. They have taken the Military Training for training themselves for using arms and ammunitions and they had also undergone the training in in-door class with regard to nationalism, national integration,

so as to get the sovereignty of Manipur out of the present Union of India. The aim and object of UNLF to liberate present Manipur State out of the present Union of India from the alleged domination of Indian Union. Secondly, to restore/regain the lost political sovereignty of Manipur, to establish sovereign republic of Manipur and her neighbouring States and to regain the lost territories of Manipur and to unify the peoples of the Mongoloid origin in the Geographical contiguous areas of South East Middle Asia into a nation."

Even the evidence of this witness would bring out a very serious situation projecting itself and that cannot be tolerated.

12. P.W.4 Sub Inspector Yengkokpam Chandra Mani Singh in his evidence has stated :-

"I am posted as Sub Inspector in Lamphel Police Station since 17.4.1997. I have come across a case which has been investigated by me connecting the extremists organisation ULF. I have brought the original case and F.I.R. bearing No. 119 (6)/97 of P.S. Lamphel under Sections 121/121A IPC and 10/13 UAP Act. (Original produced and perused). Copy of the same is Ex. P.4. On 27.6.1997 a column of 24 Assam Rifles received an information that some top leaders of UNLF were taking shelter in the Lei Ingkhol area. Accordingly, 24 Assam Rifles cordoned the area and conducted search operations and apprehended one Ibomcha @ H. Mangang, who happens to be the member incharge of Home UNLF. On his apprehension he was found to be in possession of six documents belonging to UNLF and the same were recovered and seized from his person. This apprehended Ibomcha @ H. Mangang was handed over by the 24 Assam Rifles Commandant to the Officer Incharge of Police Station Lamphel along with complaint and recovered and seized documents. Ex. P.5 to P.10 are the photo copies of the documents recovered and seized. (Original prdouced and perused). Investigation in this case is going on. Arrested accused was remanded to judicial custody. The armed wing of the UNLF is Manipur People's Army. The documents revealed that the extremists are attempting to run a parallel government. The

aim and object of UNLF is to secede Manipur out of India, (2) to form a sovereign State of Manipur, (3) to regain the lost territories of Manipur, (4) to unify the people of Mongoloid origin in the Geographical contiguous areas of South East Middle Asia into a nation, by waging war against the Govt. of India for using and holding unauthorised arms against the duly established authorities which include the security forces of Govt. of India and the State of Manipur."

13. This action is a glaring instance of violation of law without any sense of duty to the country.

14. P.W.5 S.I. Hidangmayum Rameshwar Sharma has stated:-

"I am posted as Sub Inspector in Imphal Police Station since 21.11.1992. I am investigating a case F.I.R. No. 815 (11)/95 and this pertains to the activities of PREPAK Organisation. On 20.11.1995 at about 9.45 A.M. the complainant of the case ASI M. Rajen Singh of Rapid Action Police Force, Imphal District, along with his party were on patrolling duty at Kangabam Leikai, Imphal P.S. During patrolling duty he came across one youth by the name of S. Tombi Singh @ Loyamba. The complainant overpowered and apprehended Tombi Singh. A .38 revolver loaded with 6 live cartridges was recovered and seized from him. Some documents were also recovered and seized from him. Copy of the F.I.R. is Ex. P.11 and one photo copy of the receipt book issued on the letter pad of People's Revolutionary Party of Kangleipak bearing Receipt No. 201 is placed on record as Ex. P.12. (Original produced and perused). I have brought all the recovered and seized Receipt Books numbering eight. The aforesaid apprehended person S. Tombi Singh is self-styed Commander of West (I) PREPAK. The extremists belonging to the PREPAK Organisation were issuing these receipts and taking money from people by way of extortion so as to promote their avowed aims of achieving the objectives of seceding the present State of Manipur out of the Union of India. This extorted money was and is used by the PREPAK extremists for the purpose of procuring arms and ammunitions and for various other kinds of guerilla ware-fare against the

duty established Govt. of India Authorities and its security force."

15. The events narrated by him would also give us the picture about what is happening to the people of the nation.

16. P.W.6 S.I. Hopeson Chiphang would state :-

"I am posted in Singhjamei Police Station since 27.10.1995. One FIR bearing No. 243(11)95 Police Station Sinjamei under Section 121/121-A IPC, 13 UAP Act and 25(1-B) Arms Act and 5 Explosive Substances Act is being investigated by me. Photo copy of the FIR is marked as Ex. P-13. I have brought the original. (Original seen and returned).

On 17.11.1995, a team of Rapid Action Police Force Imphal District were on frisking duty at Bashikhong Lamlong Mari Phangbi Road. During their frisking two youths came on two-wheeler scooter bearing registration No. MNB 8986 of sky blue colour. These youths looked to be suspected and consequently watched and searched. On search of the first youth namely Ningombam Prem Kumar @ Prem aged 23 years son of Shri N. Anubha Singh of Bashikhong Mamang Leikai, one .38 revolver loaded with eight life cartridges was recovered and seized. Besides, one walkie talkie was also recovered and seized from him, some incriminating documents relating to PREPAK Organisation were also recovered and seized from him. The second one was Laishram Ingocha Singh @ Rakesh @ Ibomacha 23 years son of late Sh. Amurei Singh of Kiyamgei Maning Leikai. From his body search one .38 revolver with 6 live cartridges was also recovered and seized. besides one walkie talkie and one hand grenade was also recovered and seized. These apprehended persons surrendered to the Singhjamei Police Station and five days police remand was taken from the judicial court. During the course of investigation they admitted being hard core terrorists/activists of PREPAK Organisation. The aforesaid seized arms and ammunitions have been sent to FSL and the report has not been received as yet. These apprehended are behind the bars and the charge-sheet will be filed after the report of the FSL is received. I have obtained the demolition order for destroying the hand

grenade from the court. Besides the aforesaid arms and ammunitions other documents were recovered and seized from these hard core terrorists of PREPAK. These documents are placed on record as Ex. P-14 and Ex. P-15 along with true English Translation. (Original seen and returned).

The aims and objectives of the PREPAK are to secede Manipur from the Union of India, (2) to form separate and independent sovereign State of Manipur, (3) to regain the allegedly lost territory of Manipur, (4) to introduce independent Panchyat system of their own and (5) to introduce their own cabinet form of Government, (6) job oriented education (7) to abolish capitalism and (8) to introduce land ceiling. In order to achieve the aforesaid objectives, they are attaching the security personnel for the purpose of taking arms and ammunition in order to wage war against the lawfully established Government of Manipur as well as Government of India. Their object is also to attack on the security forces of the Government of India as well as the State of Manipur."

17. The evidence of this witness also brings out the callous attitude of certain persons who profess to act in the interests of the people of the region.

18. P.W.7 S.I. Yelam Bhishma Singh would depose:-

"I am posted in Thoubal Police Station as Sub Inspector on 21.2.1997. I have come across a case connected with the extremists organisation KCP (Kangleipak Communist Party). I have come across a case connected with the extremists organisation KCP (Kengleipak Communist Party). I have also come across many cases connected with the KCP with the extremists and terrorists activities. Right now, I have brought in original FIR bearing No. 83(7)97 under Section 121/121-A IPC, 25 (1-B) Arms Act and 13 UAP Act and 5 Explosive Substances Act.

On 6.7.1997 at around 5.00 a.m. Major N.S. Narang with his party during search operation reached a specific place in Thoubal Kiyam Siphai. On raiding the house of one Mr. Mohri Sorokhaibam aged 40 years of Thoubal

Kiyam Siphai two persons were apprehended with weapons. On search one country made AK-47, along with one magazine of AK-47, three live rounds 9 mm, one 36 hand geranade (KTFS) and one set of igniters No. D-86 were recovered. The second man apprehended was Thounaojam Meinou @ Dolendro. From him were recovered one country made 9 mm carbine three live rounds 9 mm along with one magazine besides loaded three live rounds.

Earlier, this matter was reported to the Lilong Police Station, Thoubal and from there it was transferred to the Thoubal Police Station as the area falls within the jurisdiction of Thoubal Police Station. The FIR of the same (in original seen and returned), a copy of the same is marked as Ex. P-16. During my investigation it was revealed that two activists belonged to the extremists outfit KCP (Kangleipak Communist Party); they joined the said organisation in the early part of February 1997 only. After joining the KCP in the early February 1997 and prior to their apprehension on 21.2.1997 they extorted money from the public with the help of the recovered arms and ammunition. During this period the extorted money amounting to Rs.14,000/- by these apprehended persons had been deposited with one Mr. Mangangcha, District Commander, towards the party funds for propogating, projecting and promoting the aims and objects of the KCP. I have not filed the charge-sheet because the report of the FSL is awaited yet.

The aims and objects of the KCP is to secede Manipur from the Union of India with violent action and to form an indepedent Manipur having a Communist form of Government with the aforesaid extorted money, the Area Commander and District Commander are using for procuring arms and ammunition for them for waging war against the duly and lawfully established Government of Manipur as well as Government of India, besides the security forces of the Union Government and the State Government."

19. This would also give us an idea about what is happening in that part of the country.

20. P.W.8 S.I. Chhakchhuak Lalropuiya would state:-

"I am posted in Churachandpur Police Station

since 5.5.1995. During this period I have come across the activities of an extremists Organisation known as KYKL (Kanglal Yaol Kanna Lub).

I have brought with me the case FIR No. 78(4)97 Police Station Churachandpur (Original seen and returned). Copy of the same is placed on record as Exh. P-17. The said FIR was lodged under Sections 121/121-A/307/384/511 IPC, 25 (1-B) Arms Act and under Section 13 of UAP Act.

On 11.4.1997 at about 5.20 p.m. H. Brajamani Sharma SDPO Churachandpur Police Station along with escort party were on patrolling duty at Churachandpur New Bazar. During this patrolling one person holding a pistol shot on the escort constable namely, J. Timothy. Fortunately the round did not fire and on seeing the scene another escort over-powered and apprehended one Mr. Kundrakpam Somorjit Meitei @ Radha. After apprehending and search, one automatic Government Model of MK-IV/Series 70 was recovered and seized. Besides, mis-fired round, 5 round cartridges were recovered and seized. Besides, two note pads were also recovered which I have not brought there and the same can be produced as and when this Hon'ble Tribunal may order.

My interrogation of this apprehended person revealed that he was a trained activist of KYKL. My investigation further revealed that he came to Churechandpur for the collection of money by way of extortion for party funds from the bus owners. On further interrogation it was also revealed that he had gone to Bangla Desh for the purpose of training in arms and ammunition for foot-drill. This training in arms and ammunition is taken by them for specific purpose of achieving the aims and objects of KYKL. The main objectives of the KYKL are (1) to unite all the extremists organisations in the present State of Manipur on one platform and thereby creating sovereign state of Manipur from the present Union of India by waging war against the Government of India and the State of Manipur and thereby seceding the territory from the Govt. of India. The aforesaid extortion which was said to be done from the bus owners was to be used by the activists KYKL for the purpose of purchasing of arms and ammunition, for promoting the object of their organisation."

21. P.W.9 S.I. Shimzing Vinson would depose :-

"I have been posted in Lamlai Police Station since 29.3.1997. I have come across the activities of activists of KYKL (Kanglei Yaol Kanna Lup) extremists organisation. During my tenure in the present police station I have dealt with the case FIR No.. 12(1)96/LLI Police Station under Section 121/121-a/307/212/34 IPC, 25 (1-B) Arms Act, 13 UAP Act. I have brought the original FIR. Copy of the same is marked as Ex. P-18. (Original seen and returned).

On 27.1.1996, at about 5.30 a.m. a combined security force of Lamlai cordoned off one village namely Wanghon near Yaingangpokpi side and conducted and searched the house. During the course of search being conducted an encounter took place between the security forces and the underground personnel suspected to be KYKL activists. The encounter resulted in bullet injury suffered by an unknown youth. The other underground person managed to escape. During search one Hopeson Tangkhul aged 30 years son of Haming T. Wanghon village was arrested along with some important documents relating to KYKL which were recovered from his house. The aforesaid Hopeson had given shelter to the underground activists of KYKL and their sympathiser. After arrest a police remand was granted and subsequently judicial custody was granted. The said Hopeson was thoroughly and minutely interrogated and he revealed that on 24.1.1996 the said unknown youth had requested him to give him job of fire wood cutter from jungle near Yaingangpoki and this youth after 24.1.1996 continued to stay with him in his house. The aforesaid deceased youth introduced himself to be Khaidem Gopal Singh aged 23 years son of late Babu Singh of Manil Lake. 18 documents were recovered from the aforesaid sympathiser. These aforesaid 18 documents are printed cash receipt books (Blank) on the letter head of KYKL.

I have brought the original receipt books and letter head and one of the photocopy is placed on record and marked as Ex. P-19 (original seen and returned). The recovered and seized documents established the nexus of the apprehended accused and proved his connection with extremists organisation KYKL.

> The objects of the KYKL extremists organisation is to wage war against the Government of India and to secede the present State of Manipur from the Union of India and to liberate the present State of Manipur and the geographically contiguous areas of South East Middle Asia into a nation. In order to achieve the aforesaid objectives they are attacking the security personnel for the purpose of taking arms and ammunition in order to wage war against the lawfully established Government of Manipur as well as Govt. of India. A community originally living in present valley areas of Manipur are called Meitei. Their object is to secede Manipur and form a sovereign State of Manipur."

22. A reading of the evidence of these witnesses also would bring out in boldly the situation prevailing in that part of the country.

23. P.W.10 Shri S. Dinskumar Singh, Additional Secretary (Home), Govt. of Manipur, Imphal and P.W. 11 Shri Ram Phal, Desk Officer, Ministry of Home Affairs (NE Div.), Govt. of India, New Delhi were examined to speak about the averments in the affidavits filed in support of the Notification.

24. The material part of the affidavit of Shri Ram Phal reads as under :-

> "That the Union of India has to deal with the problem of insurgency in the State of Manipur created by certain Meitei Extremist Organisations, viz., the People's Liberation Army (PLA) generally known as the PLA which is the armed wing of the organisation known as the Revolutionary People's Front (RPF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak - generally known as PREPAK, and its front organisation called Red Army, as also the Party (KCP) and its armed wing, also called the Red Army, the United National Liberation Front (UNLF), both factions, and the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), hereinafter referred to collectively as the Meitei Extremist

Organisation. All these five extremist organisations have openly declared as their objective the formation of an independent sovereign Manipur comprising the present State of Manipur, by bringing about secession of the territory presently comprising the State of Manipur out of the territory presently comprising the State of Manipur from the territory of the Union of India. With this end in view, these organisations and the individuals connected with them have been targeting and terrorising the citizens of these areas, Government employees, the Police and the Security Forces personnel. They have also been indulging in acts of intimidation and extortion of huge funds illegally from the civilian population of these areas with the nefarious objective of achieving secession of the Manipur State from the Union of India. They have also established contacts with certain foreign countries inimical to India's security interests, for securing assistance by way of safe passage, sanctuary, training and for the illegal procurement of arms and ammunitions.

All the 5 Meitei Extremist Organisations have also issued Leaflets and Hand-outs. The Revolutionary People's Front (RPF), which is the political wring of the PLA in their Constitution adopted at the First Party Congress in 1990 clearly spelled out that it shall have its army to be known as People's Liberation Army (PLA) and that any person who wishes to join "the struggle for freedom" can be a member of the Party. Further, in a leaflet titled "A Brief Account for Demanding Sovereignty of Manipur" issued by the RPF on 25 February, 1995, a call was given to the people of Manipur to "fight for sovereignty and self determination for Manipur and its people". It also denounced the so called illegal and unconstitutional occupation of Manipur by the so called imperialist minded India.

Similarly, the UNLF has consistently opposed the merger of Manipur with the Union of India and has been carrying out a compaign against the so called annexation of Manipur by India. In support of its demand, the UNLF has been issuing messages to the public of Manipur and appealing to them for observing "Oppose India Annexation Month" from September 21 to October 25 for the past few years.

The PREPAK, KCP and the KYKL have also adopted armed struggle as the means for achieving the objective of secession of Manipur from the Union of India. All the 5 Extremist Organisations have been continuously resorting to intimidation and extortion of funds forcibly from the civilian population, particularly the businessmen and traders, for mobilising resources for carrying on their secessionist, terrorist and violent activities. A number of documents including Pamphlets, Hand-Outs and Demand-Notices issued by the 5 Meitei Extremist Organisations during the period between 01.09.1995 to 31.10.1997 which highlight their secessionist objectives, terrorist and violent means as also the intimidatory and extortionist activities are enclosed. Another statement indicating details of terrorist and violent activities indulged in by the 5 Meitei Extremist Organisations during the period 01.09.1995 and 31.10.1997 is enclosed.

In the past, the Meitei Extremist Organisations had been declared as "Unlawful associations" under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The PLA and the PREPAK and its offshoot known as the Red Army were first declared as "Unlawful associations" for a period of two years with effect from 26.10.1979. The KCP was also declared as an unlawful association, in addition to the PLA AND PREPAK with effect from 26.10.1983. Similarly, the UNLF was also notified as an unlawful association with effect from 26.10.1987. The KYKL was notified as an unlawful association for the first time with effect from 26.10.1995. A statement indicating the notifications declaring the Meitei Extremist Organisations as unlawful associations as also the confirmations by the Tribunals constituted for the purpose is enclosed. Such declaration of the secessionist and extremist groups as "unlawful associations" are helpful to the law enforcement authorities for checking their activities. It also prevents the organisations so declared to openly propagate and promote their aims and objectives and discourages non-members from assisting such organisations. A statement indicating details of cases registered/charge-sheets filed and prosecution of activists belonging to these organisations done by the State government of Manipur during the period between 01.09.1995 to 31.10.1997 is enclosed. It is learnt from

the report received from the State Government of Manipur and from other sources from time to time that there has been no change in the aims and objectives of the Meitei Extremist Organisations, namely, PLA, PREPAK, KCP and UNLF as also their front organisations and armed wings. As a matter of fact, the new Meitei extremist group, namely, the Kanglei Yaol kanba Lup (KYKL) had been formed by some members of the UNLF (Oken faction), PREPAK (Khumba faction) and KCP (Ibopishak faction). As per a Presss Hand-Out, the aforesaid factions had met on 23.5.1994 and decided to form the KYKL with the avowed aim to unite all Meitei secessionist groups, euphemistically referred to as Revolutionary Groups, operating in the State of manipur for achieving the common objective of secession from the Union of India. All these 5 Meitei Extremist Organisations continue to espouse secession of Manipur as their objective and have adopted terrorist and violent means for achieving this objective."

25. In the affidavit the general approach of the Government has also been recounted.

"On the other hand, the policy of the Government has been to deal firmly with those indulging in secessionist and terrorist activities while simultaneously continuing efforts to encourage them to join the mainstream of national life provided they abjure violence and agree to work within the Constitution of India. Under this broad policy framework, the Central Government have taken a series of measures which include the declaration of the most seriously affected areas as "disturbed areas", notification of the most virulent insurgent groups as "unlawful associations", deployment of additional units of the Central Para-Military Forces and the Army, extension of financial assistance to the North-Eastern States for modernisation and upgradation of State Police Forces and Prison Administration."

26. About the development measures,the Government of India had stated :-

"In addition, for the overall development of the North-Eastern States, the Central

Government had declared all of them as Special-Category States which entitles them to receive Central development assistance on the basis of 90% grant and 10% loans as compared to 30% grant and 70% loans in respect of the other states. Most of the non-plan expenditure of the North-Eastern states is also met by the Central Government. The North-Eastern Council (NEC) was set-up in 1971 with the objective of supplementing the development efforts of the North- Eastern States, particularly in respect of major infrastructure projects of inter-state relevance like power projects, irrigation projects, interstate roads, flood control schemes etc. With a view to monitor the development activities and expedite implementation of Central sector projects, a committee of Ministers for the Economic Development of North-Eastern Region has also been set-up under the Chairmanship of the Union Home Minister. It meets periodically to review the progress of major development projects/schemes and takes vital decisions for expediting their implementation. As part of these measures, the Railways have taken-up conversion of the Metregauge railway-line into Broad-gauge for integrating the North-East railway network with the rest of the country. Similarly, the Ministry of Civil Aviation, besides upgrading and improving facilities at the airports in the North-East, has allowed the private, airlines to connect destinations in the North-East. Such projects, besides providing vital developmental infrastructure, also provide and open avenues for employment opportunities to the local people."

27. The Government in its affidavit has stated that this Meitei Organisation continue to indulge in such unlawful activities inspite of having been declared as unlawful Associations w.e.f. 26.10.1995.

28. What is stated by the Government in its affidavit has clearly come out in the oral evidence adduced by the Government and the Government had stated:-

"The Central Government after examining all the information available with it came to the conclusion that the People's Liberation Army generally known as the PLA and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing known as the "Red Army" as also the offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party(KCP) and its armed

wing also called the "Red Army" and the United National Liberation Front (UNLF) and Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) -

(i) have openly declared as their objective the formation of an Independent Sovereign Manipur comprising the present state of Manipur and have resorted to violent activities in pursuance of their objective to bring about secession of the said state from the 'Union of India'.

(ii) have been employing armed men/ultras, namely,the so-called People's Liberation Army, the Red Army, their members and the other bodies set up by them, to achieve their aforesaid objective.

(iii) have in furtherance of their aforesaid objective been employing the armed militants and/or members in attacking the Indian Security Fores and the lawful Civil Government and the citizens in the State of Manipur, and indulging in acts of arson, looting and intimidation against the civilian population for collections of funds for their organisations.

(iv) have been making efforts to resume their contacts with foreign countries for securing assistance by way of arms, ammunition and training for purpose of achieving their aforesaid objective."

29. It is only after satisfying itself about the unlawful activities of the Organisation the Government had formed the opinion and had issued the Notification. The decision arrived at by the Government is given as under :-

"The Central Government further came to the conclusion that because :-

(a) there have been repeated, continuing and on going acts of violence and attacks by armed groups and members of the five Meitei Extremist Organisations on the civilian population and also on the Police/Security Forces Personnel.

(ii) there has been increase in the strength of Meitei Extremist Organisations.

(iii) there has been a spurt in the extortion of funds and acquisition of sophisticated weapons.

(iv) there are increasing reports of setting up of training camps in some neighbouring countries."

30. Having regard to the evidence adduced and the materials placed before me, I am satisfied that the Notification issued by the Government of India is quite justified and there is sufficient cause for declaring the Associations to be unlawful under Section 3(1) of [The] Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

31. Before parting with this case, taking this opportunity I would request all concerned to have in mind the advice given by Sri Sathya Sai Baba that righteous action alone will leave no bad effects. Baba declared :-

"If there is righteousness in the heart
There will be beauty in character;
If there is beauty in character
There will be harmony in the home.
When there is harmony in the home
There will be order in the nation.
When there is order in the nation,
There will be peace in the world.

32. In fine, I am very hopeful that wisdom will down on the persons who are indulging in unlawful activities and would follow golden words of Baba, SATHAM WADHA, DHARMAM CHARA (speak the truth, act according to the principles of Dharma).

33. The Notification S.O. 780 (E) dated 13th November, 1997 stands confirmed under Section 4 of [The] Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

May 6 1998.
'g'

(Sd/-)
CHAIRMAN
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL
[No. 8/67/97-NE-I]
G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998